



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-24092025-266371
CG-AS-E-24092025-266371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4237]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947

No. 4237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मालीगांव, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4356(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008) की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लेखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1	कोकराझार-गेलैफू नई रेलवे लाइन (69.05 कि.मी.)	असम, भूटान

[फा. सं. W/CON/CAO/C-2/NFR/MISC]

हितेंद्र गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-2

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

Malegaon, the 22nd September, 2025

S.O. 4356(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Central Government, hereby notifies the following projects as Special railway projects, as mentioned in column (2) of the table below in the states mentioned in column (3) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sr. No.	Name of Project	States/UT
(1)	(2)	(3)
1	Kokrajhar-Gelephu New Railway Line Project (69.05 Km.)	Assam, Bhutan

[F. No. W/CON/CAO/C-2/NFR/MISC]

HITENDRA GOYAL, CAO/CON-2